वारसलीगंज, शेरघाटी।

कुल स्थान — 59

विवरण

बिहार में 29/2/92 को जिन 115 स्थानों पर एस०टी०डी० सुविधा उपलब्ध है उनके नाम है:

अरिया, औरंगाबाद, बनगांव, बेगूसराय, बेनीपट्टी, भागलपुर, बीहट, (बेगूसराय), भगवानपुर, बाढ़, चाईबासा, चास, चनपटिया, डालमियानगर, दरभंगा, धनबाद, ढाका, फतुहा, गढखा, गिरीडीह, गोपालगंज, गुमला, गुरूबाजार, हाट पुरानी, हाटीडाह, जमशेदपुर, जसीडीह, झंझारपुर, जोगबनी, कांके, खागडिया, कोडरमा, कासबा, मधेपुरा, महाराजगंज, मढ़ौरा, मुंगेर, मानसी, नवादा, निरमाली, पटना, पुर्णिया, पिरपैंती, रामगढ़ (शाहाबाद), राजधनवाड़, राजनगर, रूनीसैदपुर, साहेबगंज, समस्तीपुर, सौर बाजार, सिंधेश्वर स्थान, सीवान, सराय, ठाकुरगंज, सिमरी, बख्तियापुर, आरा, बांका, बनमाखी, बरौनी, बेतिया, बिहार शरीफ, बोकारो, बरियापुर, बोधगया, छपरा, चिरकुंडा, चाकन्द, डालटनगंज, देवधर, दुमका, धोली, फारबिसगंज, गया, गोड्डा, गोघरडिहा, गुमला, हाजीपुर, हजारीबाग, जमहोरा, जनकपुर रोड, कांति, जहानाबाद, झुमरीतलैया, कमतौल, काटिहार, किशनगंज, लोहरदगा, मधुबनी, महेशखुंट, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, मुरलीगंज, नांलदा, परसुद्धि, पांचगछिया, पुसा, राजगीर, रासेड़ा, रांची, रक्सौल, सहरसा, साकरी (मधुबनी), सासाराम, सिन्दरी सीतामढ़ी, सोनपुर (हाजीपुर) सोनबर्सराज, तातिनसिलवाड, भबुआ, मोहनिया, ओबरा (औरंगाबाद), बेलागंज (गया) बिहटा, मनेर, मोकामा, पावापुरी।

[कुल स्थान— 115]

Supreme Court's judgement regarding seniority in S.T.S. of I.T.S. group-A

2914. SHRI ANAND PRAKASH GAUTAM: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether a judgement was delivered by Hon'ble Supreme Court regarding the seniority in STS of ITS group-A employees;

(b) if so, whether some promotee officers in STS regained their seniority and are now due to be promoted to JAG of ITS Group 'A' since many juniors to them have already been promoted to the said Grade; and

(c) if so, when the said promotion order for the STS promotee offices in JAG is being issued?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P.V. RANGAYYA NAIDU): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) Promotion orders for the eligible STS promotee officers to JAG have already been issued on 3.3.1992.

टेलीफोन कनेक्शन लगाये जाने पर प्रतिबंध

2915. **श्री अनन्तराम जायसवाल :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद वित्तीय वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान मंजूर किये गये टेलीफोन कनेक्शनों के लगाये जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो ऐसा प्रतिबंध किस तारीख से लगाया गया था और इसके पीछे क्या उद्देश्य था;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे कनेक्शनों से प्रतिबंध हटाने के संबंध में विचार कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो यह प्रतिबंध कब हटाया जायेगा और 15 फरवरी, 1992 तक इस प्रकार लगाये गये उक्त कनेक्शनों की संख्या कितनी है और ऐसे कितने कनेक्शन हैं जिन्हें अभी तक नहीं लगाया गया है; और

(ङ) सरकार/महानिदेशक, टेलीफोन, नई दिल्ली के स्तर पर जून, 1991 से 15 फरवरी, 1992 तक कितने कनेक्शन मंजूर किये गये थे?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू): (क) से (ग) ये टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने संबंधी कार्रवाई करते समय, दूरसंचार क्षेत्र इकाइयों द्वारा बिना बारी के मंजूरशुदा टेलीफोनों के कुछ जाली मामले सामने लाए गए। जाली मामलों का पता लगाने के लिए पिछली सरकार ने मई, 1991 में इस मामले की जांच-पड़ताल का आदेश दिया था और इसलिए जांच पूरी होने तक बिना बारी के मंजूरशुदा टेलीफोन कनेक्शनों के सभी विचाराधीन मामलों के संबंध में टेलीफोन प्रदान करने की कार्रवाई उस समय रोक दी गई थी। मामला सी०बी०आई० को सौंप दिया गया है।

तथापि, माननीय संसद सदस्यों की सिफारिशों पर उनके कोटे से मंजूर किए गए टेलीफोन कनेक्शनों को तुरन्त लगाने के लिए क्षेत्र इकाइयों को जुलाई, 1991 में